न्यायालय जिला कुलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 32 /2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2023/ 37

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बैंक ऑफ बडौदा शाखा : बैकिंग सर्किल शाखा प्लॉट नं. 13, सेक्टर 9, नीरव चैम्बर्स, गांधीधाम, जिला कच्छ (गुजरात)–370201 जरिये प्राधिकृत अधिकारी		1. मैसर्स भाग्यलक्ष्मी ब्राइनचेम प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस पताः कॉर्पोरेट ऑफिस नं. 106, प्रथम तल, प्लॉट नं. 356, वार्ड नं. 12/बी, गोकुल पार्क, गांधीधाम, जिला–कच्छ (गुजरात) 370201 (गारण्टर) 2. कैलाश केदारनाथ अग्रवाल (डायरेक्टर एंव गारण्टर) 3. प्रशान्त अग्रवाल पुत्र कैलाश चन्द्र अग्रवाल (डायरेक्टर एंव गारण्टर) 4. श्रीमति मायाबेन कैलाश चन्द्र अग्रवाल (गारण्टर) पता–प्लॉट नं. 45, वार्ड नं. 12/सी, सिन्धु कॉ–ओपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, गांधीधाम, जिला कच्छ (गुजरात) 370201

आदेश दिनांकः 28/03/2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ ऋणी को **दिनांक 19.01.2015 को कैश क्रेडिट लोन खाता सं. 78200500000352 में रूपये 850 लाख तथा दिनांक 14.07.2021 को टर्म लोन खाता सं. 78200600000975 में रूपये 105 लाख, डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600000982 में रूपये 85 लाख, डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600001010 में रूपये 195 लाख, डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600001772 में रूपये 97.50 लाख, एडहोक लिमिट रूपये 78 लाख, इस प्रकार समस्त खातो में कुल रूपये 1407.50 लाख रूपये** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति – श्री प्रशान्त अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल की खसरा नं. 720/111 एंव 724/112, ग्राम व पोस्ट–गोविन्दी, तहसील नावा, जिला नागौर (राज.) स्थित औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सम्पति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 11100 वर्गमीटर) तथा मैसर्स भाग्यलक्ष्मी ब्राइनचेम प्राईवेट लिमिटेड का (1) हाईपोथिकेशन ऑफ प्लान्ट एण्ड मशीनरी (मूवेबल एण्ड इम्मूवेबल) (2) हाईपोथिकेशन ऑफ ऑल मूवेबल असेट्स ऑफ द कम्पनी, इन्क्ल्युडिंग इक्युपमेन्ट, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज, फर्नीचर, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स, ऑफिस इक्युपमेन्ट एण्ड अदर मूवेबल्स (3) हाईपोथिकेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, सेमी–फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एण्ड बुक–डेब्ट्स इत्यादि पूर्व में–रोहिला सॉल्ट कम्पनी, पश्चिम में–रास्ता एंव विश्वमित्रा सॉल्ट कम्पनी, उत्तर में–रास्ता एंव श्री नानू नाई की सम्पति, दक्षिण में–जयपुर–नावां रोड,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 13.07.2021 को एन.पी.ए.** घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

ऋण खाते में **कैश क्रेडिट लोन खाता सं. 78200500000352 में रूपये 9,48,66,965.48/– टर्म लोन खाता सं. 78200600000975 में रूपये 80,58,457.62/– डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600000982 में रूपये 9,66,055.55/– डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600001010 में रूपये 1,88,10,732.62/– डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600001772 में रूपये 99,24,815.76/– इस प्रकार समस्त खातो में कुल 13,26,27,027.03/– रूपये दिनांक 18.04.2022 ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे** बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक **19.04.2022** को रजिस्टर्ड दिये गये परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **कैश क्रेडिट लोन खाता सं. 78200500000352 में रूपये 9,48,66,965.48/– टर्म लोन खाता सं. 78200600000975 में रूपये 80,58,457.62/– डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600000982 में रूपये 9,66,055.55/– डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600001010 में रूपये 1,88,10,732.62/– डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600001772 में रूपये 99,24,815.76/– इस प्रकार समस्त खातो में कुल 13,26,27,027.03/– रूपये दिनांक 18.04.2022 ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे** को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **श्री प्रशान्त अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल की खसरा नं. 720/111 एंव 724/112, ग्राम व पोस्ट–गोविन्दी, तहसील नावा, जिला नागौर (राज.) स्थित औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सम्पति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 11100 वर्गमीटर) तथा मैसर्स भाग्यलक्ष्मी ब्राइनचेम प्राईवेट लिमिटेड का (1) हाईपोथिकेशन ऑफ प्लान्ट एण्ड मशीनरी (मूवेबल एण्ड इम्मूवेबल) (2) हाईपोथिकेशन ऑफ ऑल मूवेबल असेट्स ऑफ द कम्पनी, इन्क्ल्युडिंग इक्युपमेन्ट, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज, फर्नीचर, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स, ऑफिस इक्युपमेन्ट एण्ड अदर मूवेबल्स (3) हाईपोथिकेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, सेमी–फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एण्ड बुक–डेब्ट्स इत्यादि पूर्व में–रोहिला सॉल्ट कम्पनी, पश्चिम में–रास्ता एंव विश्वमित्रा सॉल्ट कम्पनी, उत्तर में–रास्ता एंव श्री नानू नाई की सम्पति, दक्षिण में–जयपुर–नावां रोड,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **दिनांक 19.01.2015 को कैश क्रेडिट लोन खाता सं. 78200500000352 में रूपये 850 लाख तथा दिनांक 14.07.2021 को टर्म लोन खाता सं. 78200600000975 में रूपये 105 लाख, डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600000982 में रूपये 85 लाख, डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600001010 में रूपये 195 लाख, डब्ल्यूसीटीएल (बीसीईसीएल) खाता सं. 78200600001772 में रूपये 97.50 लाख, एडहोक लिमिट रूपये 78 लाख, इस प्रकार समस्त खातो में कुल रूपये 1407.50 लाख रूपय** प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी
द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति – श्री प्रशान्त अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल की खसरा नं. 720/111 एंव 724/112, ग्राम व पोस्ट–गोविन्दी, तहसील नावा, जिला नागौर (राज.) स्थित औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सम्पति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 11100 वर्गमीटर) तथा मैसर्स भाग्यलक्ष्मी ब्राइनचेम प्राईवेट लिमिटेड का (1) हाईपोथिकेशन ऑफ प्लान्ट एण्ड मशीनरी (मूवेबल एण्ड इम्मूवेबल) (2) हाईपोथिकेशन ऑफ ऑल मूवेबल असेट्स ऑफ द कम्पनी, इन्क्ल्युडिंग इक्युपमेन्ट, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज, फर्नीचर, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स, ऑफिस इक्युपमेन्ट एण्ड अदर मूवेबल्स (3) हाईपोथिकेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, सेमी–फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एण्ड बुक–डेब्ट्स इत्यादि पूर्व में–रोहिला सॉल्ट कम्पनी, पश्चिम में–रास्ता एंव विश्वमित्रा सॉल्ट कम्पनी, उत्तर में–रास्ता एंव श्री नानू नाई की सम्पति, दक्षिण में–जयपुर–नागौर रोड,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर